FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0147 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/06/2026 16:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 04/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/06/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/06/2026 16:28:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY SAHAYAK ABHIYANTA, P.H.E.D. NAVA AVAM KARLAYAL SAHAYAK ABHIYANTA, P.H.E.D. MAKARANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BANSHILAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KISHAN SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1962 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHAISLANA, KISHANGARH RENWAL, RENWAL, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAISLANA, KISHANGARH RENWAL, RENWAL, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHANTI DEVI		पिता:MADANLAL	1. NAVA CITY,डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN,INDIA
2	SATVEER UMARIYA		पिता:BANSHILAL	1. NAVA CITY,डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN,INDIA
3	ASHISH MEENA		पिता:KRISHAN CHANDRA MEENA	1. NAVA CITY,डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,85,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,85,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर (राज.) विषय- PHED के भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्। महोदया जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ''मैं बंशीलाल पुत्र श्रीकिशन शर्मा निवासी भैंसलाना पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर का रहने वाला हॅ़ु। मैं PHED विभाग में AA Class ठेकेदार हॅ़ु तथा PHED Nawa के अधीन जलयोजना मोती बाबा की ढाणी, ग्राम लुणवा सीरसी में मुझे कार्य का सरकारी ठेका मिला हुआ है। कार्य पुर्ण कर दिया गया, जिसको डेढ साल हो गया है। किन्तु मेरा फाईनल बिल का भुगतान नहीं कर रहे है जिस पर मैं AEN शांति देवी, JEN सतवीर व JEN आशीश से मिला तो उन्होंने मेरे से कमीशन के रूप में Bill पास करने ऐवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं मेरे वाजिब कार्य के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ इन तीनो भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते हुऐ को रंगे हाथ गिरफतार करवाना चाहता हूँ इन लोगो से मेरा किसी प्रकार का उधार लेनदेन नहीं है न ही इनसे कोई रन्जिश है। कानुनी कार्यवाही कराने की कृपा करावें।'' दिनांक 18.09.2025 भवदीय एसडी बंशीलाल S/o श्रीकिशन शर्मा निवासी भैंसलाना Ps रेनवाल, जयपुर ्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एसडी कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर 18.09.25 कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 17.09.2025 को परिवादी श्री बंशीलाल ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर अवगत करवाया कि मैं PHED विभाग में ठेकेदारी करता हूं। मैने PHED विभाग नावां सिटी के अधीन जलयोजना मोतीबाबा की ढाणी, ग्राम लूणवा सिरसी में मेरी फर्म सुन्दरिया कन्स. से कार्य किया है, उस कार्य के फाईनल बिल का भुगतान करने की एवज में PHED विभाग नावां के अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं PHED विभाग नावां के भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। जिस पर परिवादी को एसीबी की कार्यप्रणाली समझाकर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वाशन देकर हिदायत मुनासिब कर ब्यूरो चौकी नागौर उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत करने बाबत् बताया तो कहा कि अभी मेरे पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, मैं उम्रदराज होने व गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने से बस में सफर करने में असमर्थ हूं, जिस कारण मैं आपके कार्यालय अभी उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकता, कल दिनांक को आप किसी कार्मिक को भेज दो मैं PHED विभाग नावां के भ्रष्ट अधिकारियों की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं दिनांक 18.09.2025 को नावां सिटी में मिलने की हिदायत की गई। दिनांक 18.09.2025 को प्रातः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री बंशीलाल से नावां सिटी में मिलने हेतु जरिये दूरभाष वार्ता कर कार्यालय अलमारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल टेप रीकॉर्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड इश्यू कर श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन नावां सिटी जिला डीडवाना-कुचामन के लिए रवाना होकर कस्बा नावां सिटी पहुंची। जहां कस्बा नावां सिटी के बाहर परिवादी श्री बंशीलाल पूर्व निर्देशानुसार उपस्थित मिले। जिन्होने एक लिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मैं बंशीलाल पुत्र श्रीकिशन शर्मा निवासी भैंसलाना पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर का रहने वाला हॅ़ु। मैं PHED विभाग में AA Class ठेकेदार हॅ़ु तथा PHED Nawa के अधीन जलयोजना मोती बाबा की ढाणी, ग्राम लुणवा सीरसी में मुझे कार्य का सरकारी ठेका मिला हुआ है। कार्य पुर्ण कर दिया गया जिसको डेढ साल हो गया है। किन्तु मेरा फाईनल बिल का भुगतान नहीं कर रहे है जिस पर मैं AEN शांति देवी, JEN सतवीर व JEN आशीश से मिला तो उन्होनों मेरे से कमीशन के रूप में Bill पास करने ऐवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं मेरे वाजिब कार्य के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ इन तीनो भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते हुऐ को रंगे हाथ गिरफतार करवाना चाहता हूँ इन लोगो से मेरा किसी प्रकार का उधार लेनदेन नहीं है न ही इनसे कोई रन्जिश है। कानुनी कार्यवाही कराने की कृपा करावें।'' प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी ''मैसर्स सुन्दरिया कन्स्ट्रक्शन'' के नाम से रजिस्टर्ड फर्म है, जिसका प्रोपराईटर मैं स्वयं हूं। मेरी उक्त फर्म द्वारा PHED विभाग नावां सिटी के अधीन जलयोजना मोतीबाबा की ढाणी, ग्राम लूणवा सिरसी में कार्य किया गया था, उक्त कार्य के फाईनल बिल भुगतान हेतु प्रोसेस में बढाने की एवज में श्रीमती शांति देवी, सहायक अभियंता द्वारा कुल भुगतान राशि का 1.5 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत के हिसाब से दो पदो के प्रभार को लेकर कुल 2 प्रतिशत

रिश्वत राशि की मांग कर रही है तथा श्री सतवीर कनिष्ठ अभियंता द्वारा करीब सवा लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। श्री आशीष मीणा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. नावां हाल पी.एच.ई.डी. मकराना भी पी.एच.ई.डी. नावां में पदस्थापन्न के दौरान फाईनल बिलों पर हस्ताक्षर शेष होने के कारण रिश्वत के लिए परेशान कर रहा है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर को बन्द चालू करने की विधि समझाकर संदिग्ध आरोपीगण से मिलकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करने की समझाईश कर हमराह जाब्ता श्री बालाराम कानि. को कार्यालय हाजा का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के साथ कस्बा नावां सिटी पी.एच.ई.डी. कार्यालय की ओर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कस्बा नावां सिटी में ही मुकीम रही। कुछ देर बाद श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 व परिवादी श्री बंशीलाल उपस्थित आये तथा डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी ने बताया कि यहां से हम रवाना होकर पी.एच.ई.डी. कार्यालय नावां के पास पहुंचे, जहां पर श्री बालाराम जी ने डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया, जिस पर मैं पी.एच.ई.डी. कार्यालय के अन्दर गया तो मुझे एईएन श्रीमती शांति देवी व जे.ई.एन. श्री सतवीर जी उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो उन्होने स्पष्ट रूप से रिश्वत की मांग कर ली है, मैने आईन्दा रूपयों की व्यवस्था कर आने हेतु कहा है, परन्तु जे.ई.एन. आशीष मीणा यहां उपस्थित नहीं होने से वार्ता नहीं हुई। इसके बाद मैं वहां से बाहर आकर डिजिटल टेप रिकार्डर श्री बालाराम जी को सुपूर्द किया। श्री बालाराम कानि. ने परिवादी के उक्त कथनों की ताईद की । ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो एईएन श्रीमती शांति देवी द्वारा करीब 1 लाख 60 हजार रिश्वत राशि पर सहमति देने एवं जे.ई.एन. श्री सतवीर द्वारा सवा लाख रूपये रिश्वत राशि पर सहमति देने के तथ्य रिकार्ड वार्ता में पाये गये। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि आईन्दा मैं जे.ई.एन. आशीष मीणा से भी रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा एवं इसके पश्चात रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उक्त तीनो भ्रष्ट अधिकारियों को एक साथ पकड़वा दूंगा। जिस पर परिवादी को आईन्दा जे.ई.एन. आशीष मीणा की उपस्थिति मालूमात कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मय परिवादी की लिखित रिपोर्ट के हमराही श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 जरिये प्राईवेट वाहन वक्त 06.30 पी.एम. पर ब्यूरो नागौर उपस्थित आई। डिजिटल टेप रिकार्डर मय परिवादी की लिखित रिपोर्ट कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 25.09.2025 को परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैं मेरे ठेकेदारी कार्य को लेकर आउट आफ स्टेट हूं तथा आईन्दा 15-20 दिन उपरान्त राजस्थान उपस्थित आने पर जे.ई.एन. आशीष मीणा की उपस्थिति मालूमात कर रिश्वत मांग सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही करवा पाउंगा। जिस पर परिवादी श्री बंशीलाल को राजस्थान उपस्थित आकर सम्पर्क करने की हिदायत की गई। परिवादी श्री बंशीलाल द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही काफी समय से लम्बित होने व परिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं देने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आने बाबत् परिवादी के नाम नोटिस जारी कर दिनांक 09.12.2025 को श्री बालाराम कानि. को तामिल हेतु परिवादी के निवास स्थान पर भेजा गया तो कानि0 श्री बालाराम बाद नोटिस तामिल उपस्थित कार्यालय आया व दर्ज करवाया कि परिवादी स्वयं उपस्थित मिला जिस पर नोटिस तामिल करवाया गया तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु शीघ्र ही श्रीमान से सम्पर्क करने हेतु कहा है। दिनांक 27.01.2026 को परिवादी से हुई वार्तानुसार कार्यालय के श्री बालाराम कानि0 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर कस्बा मकराना में परिवादी श्री बंशीलाल से मिलकर अन्य संदिग्ध आरोपी से रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता करवाने की हिदायत कर कस्बा मकराना को रवाना किया गया। श्री बालाराम कानि0 ने वापसी पर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमारी कार्ड सुपुर्द कर अवगत करवाया कि रवाना होकर कस्बा मकराना पहुंचा, जहां परिवादी श्री बंशीलाल उपस्थित मिला। जिनको मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर आरोपी से मिलकर वार्ता करने हेतु पीएचईडी कार्यालय मकराना के अन्दर रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद परिवादी व संदिग्ध आरोपी कार्यालय से बाहर आकर रोड़ के साईड में खड़े होकर वार्ता करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया व बंद हालत में डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि यह सहायक अभियन्ता है। इसने मेरे कार्य करने के बदले मेरे से 5,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 3,00,000/- रूपये रिश्वत राशि जयपुर में किसी मोहन नामक व्यक्ति को दिलवाने के लिए कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर दर्ज वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशों को सुना गया तो कानि0 के कथनों की ताईद हुई। रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना पाया गया। ताबाद दिनांक 02.02.2026 को परिवादी श्री बंशीलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि मेरे पास अभी चार लाख रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास 50,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा शेष रिश्वत राशि हेतु डमी मुद्रा की व्यवस्था है, परिवादी ने यह भी बताया कि वैसे भी रिश्वत राशि कागजी लिफाफों में आरोपीगणों द्वारा ग्रहण की जानी है तो किसी प्रकार की शंका भी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक को मैं रिश्वती लेन-देन वार्ता कर कार्यवाही करवा सकता हूं परन्तु नागौर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने में असमर्थ हूं। मैं आपको नावां सिटी उपस्थित मिल जाउंगा तथा परिवादी ने यह भी अवगत करवाया कि आरोपी श्री

आशीष मीणा के बतायेनुसार मोहन नामक व्यक्ति ने रूपये लेने से साफ इन्कार कर दिया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर दिनांक 03.02.2026 को नावां सिटी के बाहर नागौर रोड़ पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 03.02.2026 को वक्त 10.00 ए.एम. पर श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64 को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल के नाम तहरीर देकर कार्यालय सहायक अभियंता (शहर), ए.वी.वी.एन.एल. नागौर को रवाना किया गया, जिस पर श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री विनोद कुमार, अभियान्त्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियंता (शहर), ए.वी.वी.एन.एल. नागौर एवं श्री अजय सांखला वाणिज्यिक सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता (शहर), ए.वी.वी.एन.एल. नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल वायस रिकार्डर में पूर्व से पृथक-पृथक रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की जाकर वक्त 11.30 ए.एम. पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39, मोहनराम हैड कानि0 64, व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक को निर्देषित किया गया कि मकराना पहूंच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अग्रिम आदेश तक मकराना में मुकीम रहेंगे, ताबाद उक्त तीनों कार्मिकों को जरिये प्राईवेट वाहन मकराना हेतु रवाना किया जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक 355 से कार्यालय आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर अखबार में लपेट कर प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री अजय सांखला मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह स.उ.नि, नेमीचन्द कानि0 405, कानाराम कानि0 532, राजेन्द्र झूरिया कानि0 150, प्रेमाराम कानि0 218, सुरेन्द्र सिंह कानि. चालक 355 जरीये प्राईवेट वाहनो के मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप-प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड व सरकारी मोबाईल मय नये मैमोरी कार्ड के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नावां सिटी को रवाना होकर कस्बा नावां सिटी से पहले नागौर रोड़ पर पहूंची, जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री बंषीलाल उपस्थित मिले। प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा कर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बंशीलाल से आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये व भारतीय मनोरंजन बैंक के पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये निकाल कर पेश किये। जिस पर ट्रेप दल में शामिल श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उपर्युक्त सभी नोटों को प्राईवेट वाहन की पिछली सीट पर अखबार पर रखकर प्रक्रिया अनुसार हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री बंशीलाल की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नही मिली। ताबाद भारतीय चलन मुद्रा के 50 नोट उपर नीचे व बीच में भारतीय मनोरंजन बैंक के 50 नोट कुल 50,000/- रूपये एक लिफाफे में व इसी प्रकार भारतीय चलन मुद्रा के 50 नोट उपर नीचे व बीच में भारतीय मनोरंजन बैंक के 50 नोट कुल 50,000/- रूपये दूसरे लिफाफे में डालकर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से उक्त दोनों लिफाफों पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर दोनों आरोपीगणों को देने हेतु परिवादी श्री बंशीलाल के पहनी कोटी की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री बंशीलाल को बताया गया कि इन लिफाफों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपीगण रिश्वत की मांग नहीं करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे दोनों लिफाफे अपनी जेब से निकाल कर दोनों आरोपीगणों को देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा कर तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस काल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखते है या छुपाते है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपीगणों के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। उक्त डिस्पोजल गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है, उसे जलवाया जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री बंशीलाल को वक्त रिश्वती लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिये कार्यालय के वायस टेप रिकार्डर को आपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक

को सुपुर्द कर वापिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 02.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बंशीलाल को दोनों आरोपीगणों से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने हेतु कहा गया, जिस पर श्री बंशीलाल द्वारा आरोपीगणों से सम्पर्क कर अवगत करवाया कि उक्त दोनों आरोपीगण राजकार्य से फिल्ड ड्यूटी में कार्यालय से बाहर है। उपस्थित आने पर मुझे फोन करने हेतु कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल सदस्यों मय परिवादी के कस्बा नावां के बाहर स्थित होटल पर मुकीम रहकर आरोपीगणों के फोन का इन्तजार करने लगे। वक्त 04.00 पी.एम. तक परिवादी के पास आरोपीगणों का फोन नहीं आने पर पुनः सम्पर्क किया गया तो आरोपीगणों ने परिवादी को बताया कि हमारी आज कुचामन सिटी अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में मिटिंग है, हम दोनों कुचामन सिटी जा रहे है, आज आपसे मिलना नहीं होगा। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह श्री विनोद कुमार से परिवादी के पहनी हुई कोटी की जेब में से रिश्वत राशि के लिफाफे निकलवाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये तथा परिवादी को कल दिनांक 04.02.2026 को वक्त 11.00 ए.एम. पर इसी स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु हिदायत कर मय ट्रेपदल सदस्यों के एसीबी चोकी नागौर को रवाना हुई तथा मकराना भेजे गये श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 मय जाब्ता को जरिये मोबाईल एसीबी कार्यालय नागौर पहुंचने की हिदायत कर वक्त 06.30 पी.एम. पर एसीबी चोकी नागौर पहुंची। श्री मुकेश कुमार हैड कानि मय जाब्ता उपस्थित आये। ताबाद प्लास्टिक की थैली में रखे रिश्वत राशि के दोनों लिफाफों को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ को कल दिनांक 04.02.26 को वक्त 08.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित मिलने की हिदायत कर दोनों गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 04.02.2026 को वक्त 08.15 ए.एम. पर पूर्व में पाबंद सुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मुकेश कुमार हैड कानि0, श्री मोहनराम हैड कानि0, व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया गया कि मकराना पहूंच अग्रिम आदेश तक मकराना में मुकीम रहेंगे, ताबाद उक्त तीनों कार्मिकों को जरिये प्राईवेट वाहन मकराना हेतु रवाना किया जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक 355 से कार्यालय आलमारी में से प्लास्टिक की थैली मे रखे रिश्वती राशि के लिफाफे व फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री अजय सांखला मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह स.उ.नि, नेमीचन्द कानि0, कानाराम कानि0, राजेन्द्र झूरिया कानि0, प्रेमाराम कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. चालक जरीये प्राईवेट वाहनो के मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप-प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड व सरकारी मोबाईल मय नये मैमोरी कार्ड के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नावां सिटी को रवाना होकर वक्त 11.00 ए.एम. पर कस्बा नावां सिटी से पहले हाईवे पर पहूंची, जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री बंशीलाल उपस्थित मिले। प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा किया जाकर ट्रेप दल में शामिल श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर रिश्वत राशि रखे उक्त दोनों लिफाफों पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार से लिवाई जाकर कोई आपत्ति जनक वस्तु/ राशि नहीं पाई जाने पर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त दोनों लिफाफे दोनों आरोपीगणों को देने हेतु परिवादी श्री बंशीलाल के पहनी कोटी की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक को सुपुर्द कर वापिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। ताबाद परिवादी से जरिये मोबाईल आरोपीगणों से सम्पर्क करवाया गया तो आरोपीगणों ने ऑफिस से बाहर होना बताया तथा कुछ समय बाद ऑफिस में आने हेतु कहा गया। ताबाद वक्त 02.30 पी.एम. तक परिवादी के पास आरोपीगणों का फोन नहीं आने पर परिवादी द्वारा अपने परिचित से पता करवाने पर दोनों आरोपीगण कार्यालय में उपस्थित होना ज्ञात हुआ। जिस पर परिवादी श्री बंशीलाल को आरोपीगणों से मिलकर अपने कार्य से संबंधित वार्ता करने व रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर मय श्री बालाराम कानि0 के परिवादी की निजी गाड़ी से पीएचईडी कार्यालय नावां रवाना किया जाकर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के जरिये प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर पीएचईडी कार्यालय से कुछ दूरी पर सड़क पर अलग-अलग साईड में प्राईवेट वाहनों को खड़ा कर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे का इन्तजार करने लगे, जिस पर वक्त 03.00 पी.एम. पर परिवादी बिना कोई पूर्व निर्धारित इशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया व स्वीच आफ डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं पीएचईडी कार्यालय के बाहर श्री बालाराम कानि0 को गाड़ी में ही छोड़कर अन्दर गया व दोनों आरोपीगणों से मिलकर अपने कार्य व रिश्वती लेन-देन से संबंधित वार्ता की तो आरोपीगणों ने रिश्वत राशि लेने से इन्कार करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन रूको। हम अपने आप आपको बता देंगे। हमे किसी ने बताया है कि आप एसीबी को लेकर घूम रहे हो। जिस पर परिवादी को कस्बा नावां से बाहर नागौर रोड़ पर मिलने की हिदायत कर उसकी निजी कार से रवाना कर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के जरिये प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर कस्बा नावां से बाहर नागौर रोड़ पर परिवादी की कार के पास रूककर परिवादी को पूछा तो परिवादी ने बताया कि दोनों आरोपीगणों को कुछ कार्यवाही का शक हुआ है। इसलिए कुछ दिनों बाद रिश्वत राशि लेने का कह रहे हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह

श्री विनोद कुमार से परिवादी के पहनी हुई कोटी की जेब में से रिश्वत राशि के लिफाफे निकलवाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये तथा परिवादी को आईन्दा आरोपीगणों से सम्पर्क होने पर सुचित करने की हिदायत कर रूखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेपदल सदस्यों के एसीबी चोकी नागौर को रवाना होकर वक्त 06.00 पी.एम. पर एसीबी चोकी नागौर पहुंची। श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 मय जाब्ता उपस्थित आये। ताबाद प्लास्टिक की थैली में रखे रिश्वत राशि के दोनों लिफाफों को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दोनों गवाहान को आईन्दा उक्त कार्यवाही हेतु तैयार रहने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 24.03.2026 को परिवादी श्री बंशीलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर फोन कर बताया कि आज मेरी आरोपीगण से वार्ता हुई तो बताया कि आज हम जिला स्तरीय मिटिंग में डीडवाना जा रहे हैं। आज हम कार्यालय में उपस्थित नहीं मिलेंगे। आप कल कार्यालय समय में आ जाना वहीं बात करेंगे। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने व कल दिनांक 25.03.26 को वक्त 10.30 ए.एम. पर कस्बा नावां के बाहर नागौर रोड़ पर मिलने की हिदायत कर पूर्व में उक्त कार्यवाही में शरीक स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टाफ को कल दिनांक 25.03.26 को वक्त 08.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित मिलने की हिदायत कर पाबंद किया गया। दिनांक 25.03.2026 को वक्त 08.00 ए.एम. पर पूर्व में पाबंद सुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ कार्यालय में उपस्थित है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मोहनराम हैड कानि0 व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया गया कि मकराना पहूंच अग्रिम आदेश तक मकराना में मुकीम रहेंगे, ताबाद उक्त दोनों कार्मिकों को जरिये प्राईवेट वाहन मकराना हेतु रवाना किया जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से कार्यालय आलमारी में से प्लास्टिक की थैली मे रखे रिश्वती राशि के लिफाफे व फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री अजय सांखला मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह स.उ.नि, मुकेश कुमार हैड कानि0, नेमीचन्द कानि0, कानाराम कानि0, राजेन्द्र झूरिया कानि0, प्रेमाराम कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. चालक जरीये प्राईवेट वाहनो के मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप-प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड व सरकारी मोबाईल मय नये मैमोरी कार्ड के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नावां सिटी को रवाना होकर वक्त 10.30 ए.एम. पर कस्बा नावां सिटी के बाहर नागौर रोड़ पर पहूंची, जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री बंशीलाल उपस्थित मिले। प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा किया जाकर ट्रेप दल में शामिल श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर रिश्वत राशि रखे उक्त दोनों लिफाफों पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार से लिवाई जाकर कोई आपत्ति जनक वस्तु/ राशि नहीं पाई जाने पर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त दोनों लिफाफे आरोपीगणों को देने हेतु परिवादी श्री बंशीलाल के पास मौजूद केरी बैग में रखवाये जाकर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर बन्द चालू करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया जाकर परिवादी को उनकी निजी गाड़ी से पीएचईडी कार्यालय नावां को रवाना किया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक को सुपुर्द कर वापिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। ताबाद परिवादी के पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के जरिये प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर पीएचईडी कार्यालय से कुछ दूरी पर सड़क पर अलग-अलग साईड में प्राईवेट वाहनों को खड़ा कर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे का इन्तजार करने लगे। जिस पर वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री बंशीलाल ने बिना पूर्व निर्धारित इशारा किये ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाहन के पास आकर कार्यालय हाजा का डिजिटल टेप रिकार्डर बन्द हालत में सुपुर्द कर बताया कि मैं पीएचईडी कार्यालय के अन्दर गया व पता किया तो दोनों आरोपीगण कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। आरोपीगण कार्यालय में उपस्थित नहीं मिलने के कारण मैंने टेप रिकार्डर चालू नहीं किया। कार्यालय स्टाफ से पूछने पर बताया कि मैडम कोर्ट गई हुई है। कब आयेगी हमें मालूम नहीं है। काफी इन्तजार के बाद भी मैडम ऑफिस में नहीं आई। जिस पर मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आया हूं तथा परिवादी ने शक जाहिर किया कि कार्यालय स्टाफ ने मुझे बताया कि आपके पास हमारे अधिकारीगणों की रिकॉर्डिग्स होने की अफवाह कार्यालय में फैली हुई है। इसलिए कोई विश्वास कैसे करेगा। मुझे शक है कि शायद मेरे द्वारा करवाई जाने वाली उक्त ट्रेप कार्यवाही की भनक आरोपीगणों को लग चुकी है, जिसके कारण मेरे द्वारा बार-बार कार्यालय जाने के उपरान्त भी कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मुझे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह श्री विनोद कुमार से परिवादी के पास मौजूद कैरी बैग में से रिश्वत राशि के लिफाफे निकलवाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये तथा परिवादी को एसीबी जाब्ता के साथ एसीबी चोकी नागौर पहुंचने की हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यों के जरिये प्राईवेट वाहनों मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप-प्रिन्टर व डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व सरकारी मोबाईल मय नये मैमोरी कार्ड तथा रिश्वत राशि के कस्बा नावां से एसीबी चैकी नागौर को रवाना होकर वक्त 02.00 पी.एम. पर एसीबी चोकी नागौर पहुंची। जहां पूर्व निर्देशानुसार श्री मोहनराम हैड कानि0 मय जाब्ता उपस्थित आये। ताबाद प्लास्टिक की थैली में रखे रिश्वत राशि के दोनों लिफाफों को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही शुरू की

गई। वक्त 02.15 पी.एम. पर डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी श्री बंशीलाल व आरोपीगण श्रीमती शांति सहायक अभियन्ता व श्री सतवीर कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य दिनांक 18.09.2025 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के चार पैन ड्राईव बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकार्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर मार्क एम-1 अंकित कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के तीन पैन ड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपीगण हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात वक्त 05.00 पी.एम. पर डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी श्री बंशीलाल व आरोपी श्री आशीष मीणा सहायक अभियन्ता के मध्य दिनांक 27.01.2026 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तीन पैन ड्राईव बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकार्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर मार्क एम-2 अंकित कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दोनों पैन ड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपीगण हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार वक्त 08.00 पी.एम. पर डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी श्री बंशीलाल व आरोपीगण श्रीमती शांति सहायक अभियन्ता व श्री सतवीर कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य दिनांक 04.02.2026 को रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन संबंधी वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात डिजिटल टेप रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के चार पैन ड्राईव बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकार्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर मार्क एम-3 अंकित कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के तीनों पैन ड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपीगण हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद कार्यवाही में अब तक तैयार की गई फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी के बतायेनुसार आरोपीगणों को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। अब परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करना व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं है। अतः प्रकरण में आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के नम्बरी नोटों कुल 50,000/- रूपये व भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपये के डमी नोटों कुल 50,000/- रूपये के डमी नोटों को परिवादी श्री बंशीलाल की प्रार्थना पर वापिस सुपुर्द किये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड सीव्ड सुदा मार्क क्रमश एम-1 व एम-2 वास्ते एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, पांच पृथक-पृथक सीव्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी हेतु तथा रिश्वत लेन-देन संबंधी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सीव्ड सुदा मार्क एम-3 वास्ते एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, तीन पृथक-पृथक सीव्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। ताबाद परिवादी श्री बंशीलाल तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री अजय सांखला को बाद कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर क्रमश सकूनत व जाय तैनातगी के लिए रुखसत किया गया। चूंकी परिवादी के बतायेनुसार आरोपीगणों को परिवादी श्री बंशीलाल द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। पूर्व में किये गये प्रयासों के दौरान भी आरोपीगणों ने परिवादी से किसी तरह की रिश्वत राषि ग्रहण करने व कार्य संबंधी वार्ता करने से इन्कार करते हुई शंका जाहिर की थी। इस प्रकार अब आरोपीगण को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में पूर्ण शक हो चुका है। परिवादी से किसी तरह की वार्ता या रिश्वती लेन-देन नहीं करेंगे, जिससे अब अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं है। उपरोक्त की गई कार्यवाही से संबंधित फर्दात व समय-समय पर अलग से रनिंग नोट तैयार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण 1-श्रीमती शांति देवी सहायक अभियन्ता, 2-श्री सतवीर कनिष्ठ अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. नावां, जिला डीडवाना-कुचामन एवं 3-श्री आशीष मीणा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पीएचईडी नावां हाल सहायक अभियन्ता पीएचईडी मकराना जिला डीडवाना-कुचामन द्वारा परिवादी श्री बंशीलाल की फर्म मैसर्स सुन्दरिया कन्स्ट्रक्शन द्वारा पी.एच.ई.डी. नावां के अधीन जल योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो के फाईनल बिल

भुगतान की एवज में आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपिता श्रीमती शांति देवी सहायक अभियन्ता द्वारा 1,60,000/- रूपये रिश्वत राशि व आरोपी श्री सतवीर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 1,25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री आशीष मीणा सहायक अभियन्ता द्वारा 5,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 3,00,000/- रूपये रिश्वत राशि लेना तय करना, आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस. का अपराध प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपीगण श्रीमती शांति देवी सहायक अभियन्ता व श्री सतवीर कनिष्ठ अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. नावां, जिला डीडवाना-कुचामन एवं श्री आशीष मीणा सहायक अभियन्ता, हाल पी.एच.ई.डी. मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया, -- Sd -- कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।... ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1- शांति देवी पुत्री मदनलाल, उम्र 32 वर्ष, सहायक अभियंता, पीएचईडी, नावा सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन, 2. श्री सतवीर उमरिया पुत्र श्री बंशीलाल, उम्र 32 वर्ष, कनिष्ठ अभियन्ता, पीएचईडी नावां सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन एवं 3. श्री आशीष मीणा पुत्र श्री कृष्ण चंद्र मीणा, उम्र 27 वर्ष, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पीएचईडी नावां सिटी, हाल सहायक अभियंता, पीएचईडी, पीएमसी खण्ड मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 67 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 902-07 दिनांक 04.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर 4- संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर 5-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 6- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDRA SINGH RATHORE **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/06/2026 16:30:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1994				
2	Male	1994				
3	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)